सी.एन.आर.नं.यू.पी.एम.ई120015092019

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, मवाना (मेरठ)
उपस्थित : .प्रशान्त मौर्य (उ0 प्र0 न्यायिक सेवा)
मुकदमा संख्या 1195/2019

सरकार बनाम साकेब आदि
अपराध संख्या 70/2017
अन्तर्गत धारा–147,148,149,,323,504,506,427 भा0दं0सं
थाना–मवाना, जिला मेरठ।

–:निर्णयः–

अभियुक्त साकेब, कामरान, एहतेशाम एवं गुलफाम का विचारण थाना मवाना द्वारा मु.अ.सं. 70/2017 धारा–147, 148, 149, 323, 504, 506, 427 भा0दं0सं0 के अंतर्गत किया गया।

संक्षेप में वादी का कथानक इस प्रकार से है कि वादी मुकदमा अतीक अहमद द्वारा इस आशय की तहरीर थाना हाजा पर दर्ज करायी कि उसका पुत्र डा0 मौ0 जुनैद कुरैशी समाजवादी पार्टी से जुडा हुआ है तथा वह जन समस्या मेला कार्यकारिणी समिति व अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य है। आज दिनांक 30.01.2017 को उसका पुत्र चुनाव प्रचार हेतु बाहर गया था। जैसे ही किला परीक्षितगढ में पहुंचे तो इनके मो0 8265899940 पर मो0 न0 डिस्पले खराब होने के कारण नम्बर नही, चक्का से फोन आया वह बोला कि जुनैद भाई तुम वहां पर हो, तो मौ0 जुनैद ने बताया कि मै विधायक जी के साथ चुनाव में हूॅ तथा एक मौत हो गयी उसमें जा रहे है। वह बोला तुमसे बात करनी है तथा फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि मैं साकेब बोल रहा हूॅ। तुम एक मिनट के लिए ग्राम सठला चले आओ। चुनाव सम्बंधी जरूरी बात करनी है। प्रार्थी का पुत्र सीधे ग्राम सठला पर बताए पते पर पहुंच गया तो वहां पहले से ही ग्राम के दिलशाद ,शकेब, कामरान, एहतेशाम व गुलफाम आदि हथियारो से लैस मकान पर सभी व्यक्ति मिले। प्रार्थी के लडके को देखते ही वह उसके साथ गाली गलौज करने लगे और गाली देकर बोला साले तुम बहुत बडा नेता बन रहा है। आज तेरी नेता गिरी सारी झाड देगे और इतना कहते ही प्रार्थी के लडके के साथ बेल्टे, लाठी , डेडो, चैन छूरी आदि से जान लेवा हमला बोल दिया जिसमें जुनैद बूरी तरह घायल हो गया। उसके कपडे फाड दिए। वहां वह किसी तरह से जान बचाकर भागा तो उपरोक्त अभियुक्तगण अपने हथियार कटटा, तलवार लेकर उसके पिछे काफी दूर तक भागे और धमकी दी कि आज तो बच गया आईन्दा जिन्दा नही छोडेगें। शोर शराबा सुनकर वाजिद, वसीम व मौ0 जाहिद एवं गांव के अन्य लोग आ गए जिन्होंने किसी तरह वादी के पुत्र को बचाया वरना ये लोग उसे जान से मार देते।

वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना पर मुकदमा कायम किया गया और प्रकरण की विवेचना की गयी। विवेचना उपरांत अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्व आरोपपत्र उपरोक्त धाराओं में प्रेषित किया गया।

न्यायालय द्वारा आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के पश्चात अभियुक्तगण को तलब किया गया। अभियुक्त न्यायालय उपस्थित आये और बाद जमानत अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपपत्र में वर्णित धाराओं के अनुरूप आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया और विचारण की मांग की।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपने साक्ष्य के समर्थन मे पी.डब्लू.1 अतीक अहमद पी.डब्लू.2 मौ0 जुनैद को परीक्षित कराया गया। तदुपरांत अभियुक्त की ओर से अभियोजन अभिलेखो की औपचारिकता को स्वीकार किया गया तथा अभियोजन साक्ष्य समाप्त की गयी ।

अभियुक्त के बयान धारा 313द.प्र.स. अंकित किए गए। अभियुक्त ने अपने बयान में घटना से इंकार किया तथा बचाव मे कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने से इंकार किया।

न्यायालय द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी एवं विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के तर्क सविस्तार सुने तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का अवलोकन किया।

अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोपों को सिद्व करने का भार अभियोजन पर है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस सम्बंध मे दो साक्षी को परीक्षित कराया गया है।

पी.डब्लू.1 अतीक अहमद ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा मे कथन किया कि घटना दि0 30.01.2017 को अभियुक्तगण ने मेरे पुत्र मौ0 जुनैद को सठला बुलाकर गाली गलौज करते हुए लाठी डंडो से मारपीट की और कपडे फाड दिए तथा जान से मारने की धमकी दी। गांव के लोगो ने मेरे पुत्र को बचाया। मैने घटना की तहरीर थाना मवाना पर दी थी। साक्षी को प्र.सू.रि. पढकर सुनायी तो गवाहने का कि यह वही तहरीर है जो मैने थाना मवाना पर दी थी जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। दौरान जिरह साक्षी ने कथन किया कि घटना मेरे सामने नही हुई थी। दरोगाजी ने मेरा कोई बयान नही लिया थां मैने लोगो के बताए अनुसार तहरीर दे दी थी।

पी.डब्लू.2 मौ0 जुनैद ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दि0 30.01.2017 को अभियुक्तगण ने मुझे एक राय होकर बेल्ट, लाठी, डंडो से मारापीटा नही था, न ही मेरे कपडे फाडे थे और ना ही गदी गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी को धारा 161 द.प्र.स. का बयान पढकर सुनाया गया तो साक्षी ने ऐसा कोई बयान दरोगाजी को देने से इंकार किया। उसका यह बयान कैसे लिखा गया वह कारण नही बता सकता तथा मोटरसाईकिल से गिरने के कारण चोटे आयी थी। साक्षी ने अभियुक्तगण से सुलह होना स्वीकार किया। आगे जिरह किए जाने पर भी इस साक्षी की साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया जिससे अभियोजन कथानक को बल प्राप्त हो।

उल्लेखनीय है कि प्रकरण मे प्रस्तुत साक्षी स01, द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन

करते हुए प्रा0पत्र प्रदर्शक–1 पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया तथा दौरान जिरह साक्षी ने कथन किया कि घटना मेरे सामने नही हुई थी। दरोगाजी ने उसका कोई बयान नही लिया था। इस प्रकार हाजिर अदालत अभियुक्त गण द्वारा कोई मारपीट, करने गालियां देने व जान से मारने की धमकी देने से इंकार किया, आगे जिरह किए जाने पर भी इस साक्षी की साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया जिससे अभियोजन कथानक को बल प्राप्त हो। साक्षी सं02 जो घटना का पीडित साक्षी है ने अपनी मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा में घटना का समर्थन नहीं किया। अन्य कोई साक्षी अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी के बयान विरोधाभासी है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को युक्ति युक्त संदेह से परे सिद्व करने मे असफल रहा है। अतः अभियुक्त लगाये गये आरोप से संदेह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त साकेब, कामरान, एहतेशाम एवं गुलफाम को मु.अ.सं.. 70/2017 धारा–147,148,149, 323, 504, 506,427 भा0दं0सं0 थाना मवाना, जनपद मेरठ के अंतर्गत आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। उनके बंध पत्र निरस्त एवं जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा अंतर्गत धारा–437(ए)द0प्र0सं0 के अधीन मु0–20,000/–रू.(बीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू इस आशय से प्रस्तुत किया गया है, कि जब भी उन्हें इस निर्णय के विरूद्ध संस्थित अपील में अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किया जायेगा तो वह अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगें।

दिनांकः–09.07.2026

(प्रशान्त मौर्य)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मवाना मेरठ।
ID.No.UP3377

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांकः–09.07.2026

(प्रशान्त मौर्य)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मवाना मेरठ।
ID.No.UP3377

This is uncertified copy for information/Reference. for authentic copy please refer to certified copy only.